



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102021-230438
CG-DL-E-16102021-230438

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3903]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 14, 2021/ आश्विन 22, 1943

No. 3903]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2021/ASVINA 22, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2021

का.आ. 4250(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 3420(अ) दिनांक 28 सितम्बर, 2020 भारत के राजपत्र सं० 3042 दिनांक 30 सितम्बर, 2020 में प्रकाशित की गई थी। इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनीर्दिष्ट भूमि में गुजरात राज्य में “कांडला-गोरखपुर पाइपलाइन पारियोजना” के अंतर्गत तालुका कालोल, जिला पंचमहाल में पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन हेतु आई०एच०बी० लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबन्धित भू-स्वामियों को दिनांक 04 नवम्बर, 2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आई०एच०बी० लिमिटेड में निहित हो

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई०एच०बी० लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदाई होगा और पाइपलाइन से संबन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

जिला : पंचमहाल		राज्य : गुजरात			
तालुका	गाँव	सर्वे नं०	क्षेत्रफल		
			हेक्टेअर	आरे०	वर्ग मीटर
कालोल	डेरोल	391	00	01	36
		390	00	00	82
		392	00	08	63
		393	00	00	95
		394	00	11	23
		432	00	03	13
		431	00	08	87
		436	00	01	11
		430	00	02	21
		429	00	03	31
		428	00	01	36
		427	00	03	87
		426	00	02	07
		492	00	01	37
		494	00	01	83
		495	00	01	60
		496	00	00	53
		497	00	00	20
		423	00	03	63
		422	00	05	96

421	00	01	14
418	00	07	25
417	00	07	24
555	00	00	90
693	00	07	12
692	00	00	20
696	00	03	30
697	00	03	76
699	00	08	67
700	00	01	32
702	00	06	71
705	00	13	38
707	00	07	12
706	00	00	28
787	00	02	50
1010	00	03	13
1012	00	01	15
1011	00	13	35
999	00	09	95
1017	00	01	42
989	00	07	70
988	00	06	69
987	00	06	45
986	00	11	39
984	00	05	86
983	00	15	76
982	00	00	20
957	00	08	14
1045	00	04	18
1046	00	03	88
953	00	00	20
951	00	00	75
952	00	09	08
838	00	06	62
836	00	01	66

		835	00	06	10
		834	00	05	11
		833	00	01	86
		825	00	14	30
कालोल	जेली	263	00	06	86
		264	00	04	56
		262	00	13	46
		254	00	03	30
		261	00	06	55
		255	00	05	69
		252	00	06	01
		250	00	18	15
		154	00	10	28
		236	00	06	04
		235	00	12	96
		234	00	01	04
		233	00	03	12
		232	00	13	14
		185	00	10	18
		186	00	03	81
		198	00	00	20
		187	00	04	48
		188	00	02	69
		190	00	00	49
		189	00	06	80
		179	00	07	36
		496	00	00	20
		175	00	01	92
		176	00	07	20
		171	00	07	10
		168	00	00	20
		170	00	02	74
		828	00	04	95
		103	00	12	14
		100	00	01	56

99	00	09	28
1115	00	07	03
1050	00	04	23
1089	00	06	09
1088	00	10	65
1087	00	04	70
1086	00	00	63
1084	00	06	74
1085	00	02	67
1082	00	05	46
1081	00	05	66
1058	00	05	63
1057	00	07	83
1061	00	00	87
1030	00	08	81
1066	00	12	29
1067	00	06	00
1028	00	00	20
1068	00	07	88
983	00	08	19
987	00	01	66
900	00	05	50
901	00	05	58
902	00	06	80
903	00	05	74
894	00	12	89
893	00	19	80
891	00	02	90

]फा. सं. आर. -11025(15)/11/2019-ओआर-1/ई-32563]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2021

S.O. 4250(E).— Whereas by the notification of the Government of the India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No. 3420(E), dated 28 September, 2020, published in the Gazette of the India No-3042 dated 30 September, 2020, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government

declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying “Kandla-Gorakhpur Pipeline Project” for the transportation of LPG Pipeline in tehsil Kalol, District Panchmahal in the state of Gujarat by IHB Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 04 November, 2020.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in IHB Limited, free from all encumbrances.

IHB Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

District : Panchmahal		State : Gujarat			
Name of Tehsil	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Square Meter
Kalol	Derol	391	00	01	36
		390	00	00	82
		392	00	08	63
		393	00	00	95
		394	00	11	23
		432	00	03	13
		431	00	08	87
		436	00	01	11
		430	00	02	21
		429	00	03	31
		428	00	01	36
		427	00	03	87
		426	00	02	07
		492	00	01	37
		494	00	01	83
		495	00	01	60
		496	00	00	53
		497	00	00	20
		423	00	03	63

422	00	05	96
421	00	01	14
418	00	07	25
417	00	07	24
555	00	00	90
693	00	07	12
692	00	00	20
696	00	03	30
697	00	03	76
699	00	08	67
700	00	01	32
702	00	06	71
705	00	13	38
707	00	07	12
706	00	00	28
787	00	02	50
1010	00	03	13
1012	00	01	15
1011	00	13	35
999	00	09	95
1017	00	01	42
989	00	07	70
988	00	06	69
987	00	06	45
986	00	11	39
984	00	05	86
983	00	15	76
982	00	00	20
957	00	08	14
1045	00	04	18
1046	00	03	88
953	00	00	20
951	00	00	75
952	00	09	08
838	00	06	62

		836	00	01	66
		835	00	06	10
		834	00	05	11
		833	00	01	86
		825	00	14	30
Kalol	Jeli	263	00	06	86
		264	00	04	56
		262	00	13	46
		254	00	03	30
		261	00	06	55
		255	00	05	69
		252	00	06	01
		250	00	18	15
		154	00	10	28
		236	00	06	04
		235	00	12	96
		234	00	01	04
		233	00	03	12
		232	00	13	14
		185	00	10	18
		186	00	03	81
		198	00	00	20
		187	00	04	48
		188	00	02	69
		190	00	00	49
		189	00	06	80
		179	00	07	36
		496	00	00	20
		175	00	01	92
		176	00	07	20
		171	00	07	10
		168	00	00	20
		170	00	02	74
		828	00	04	95
		103	00	12	14

100	00	01	56
99	00	09	28
1115	00	07	03
1050	00	04	23
1089	00	06	09
1088	00	10	65
1087	00	04	70
1086	00	00	63
1084	00	06	74
1085	00	02	67
1082	00	05	46
1081	00	05	66
1058	00	05	63
1057	00	07	83
1061	00	00	87
1030	00	08	81
1066	00	12	29
1067	00	06	00
1028	00	00	20
1068	00	07	88
983	00	08	19
987	00	01	66
900	00	05	50
901	00	05	58
902	00	06	80
903	00	05	74
894	00	12	89
893	00	19	80
891	00	02	90

[F. No. R-11025(15)/11/2019-OR-I/E-32563]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.